राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि0,जयपुर
5 वीं व 6ठीं मंजिल नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर
Phone : 0141-2741805, E-mail : rschfjaipur@yahoo.com

क्रमांक–129/20 दिनांक–14.02.2020

नीलामी सूचना

संघ के सहयोग अपार्टमेन्ट विद्याधर नगर (सेक्टर–6) जयपुर के फ्लेट संख्या–151–बी, (टॉवर–1) जिसका क्षेत्रफल 525.86 वर्गफीट है, ‘‘जहां है, जैसा है‘‘ खुली बोली से दिनांक 18.03.2020 को प्रातः 11:00 बजे से टॉवर परिसर में नीलाम किया जाना है। नीलामी के नियम व शर्ते संघ कार्यालय एवं संघ की वेबसाइट www.rschf.com पर देखे जा सकते है।

(आर.के.शर्मा)
प्रबंध निदेशक

नोट–

1. फ्लेट क्रय करने के इच्छुक व्यक्ति अपरान्ह् 2:00 बजे से 5:00 बजे तक संघ कर्मचारी श्री आकाश स्वामी (मो. न.–9772159715) से सम्पर्क कर उक्त फ्लेट का अवलोकन कर सकते है।

F: Drive/MD Sir File//hp

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी संघ द्वारा निर्धारित कमेटी द्वारा की जावेगी।
2. संघ द्वारा न्यूनतम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जायेगा। उसके पश्चात् बोलीदाताओं द्वारा बोली लगाने पर अधिकतम बोली लगाने वाले के पक्ष में बोली छोड़ी जावेगी। बोली छोड़ने या नीलामी निरस्त करने का अधिकार नीलामी कमेटी को होगा।
3. न्यूतम 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का व्यक्ति ही बोली में भाग ले सकेगा। संयुक्त नामों से बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। बोलीदाता को बोली के समय उपस्थित होना अनिवार्य होगा। बोली समाप्ति के बाद किसी भी स्थिति में बोलीदाता का नाम परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा एवं लगाई हुई बोली वापिस नहीं ली जा सकेगी।
4. बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व 50,000/-रू धरोहर राशि के रूप में जमा कराने होंगे।
5. अंतिम बोलीदाता को बोली छोड़ने पर विक्रय मूल्य की 5 प्रतिशत राशि मौके पर जमा करानी होगी तथा 72 घण्टे में 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी। उक्त राशि 72 घण्टे में जमा न कराने पर अग्रिम 5 प्रतिशत तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी तथा उक्त फ्लेट् को पुनः नीलाम किया जा सकेगा।
6. नीलामी की पुष्टि होने की सूचना के 60 दिवस की अवधि में शेष सम्पूर्ण राशि जमा करवाना होगा अन्यथा बिना पूर्व सूचना दिये धरोहर राशि तथा 30 प्रतिशत जमा राशि जब्त करने का संघ को पूर्ण अधिकार होगा।
7. फ्लेट् की छत पर क्रेता का स्वामित्व नहीं रहेगा।
8. संघ को बिना कोई कारण बताये बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
9. क्रेता को फ्लेट् मौके पर जहाँ है जैसा है, उसी स्थिति में हस्तानान्तरित किया जायेगा।
10. लीज डीड/ रजिस्ट्रेशन आदि से सम्बन्धित समस्त खर्चे क्रेता द्वारा वहन किये जायेंगे। राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर जो कर/व्यय तय करती है वे क्रेता पर भी लागू होंगे व क्रेता द्वारा ही वहन किये जायेंगे।
11. सम्पूर्ण बिक्री राशि जमा होने के पश्चात् क्रेता को कब्जा पत्र दे दिया जायेगा, जिसके आधार पर उसे फ्लेट् का कब्जा प्राप्त होगा।
12. फ्लेट् में संघ की अनुमति के बिना किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
13. किसी भी प्रकार के वाद की स्थिति में न्याय का क्षेत्र जयपुर होगा तथा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 2001 के अन्तर्गत निपटारा किया जा सकेगा।